अक्टूबर 9, 2020 सरकारी आदेश 2020-58

<u>COVID-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>
<u>(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या 54)</u>

जबकि, कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गई है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से अद्यतन और कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणरहित लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मैंने यह पाया है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

जबकि, सितम्बर 18 , 2020 को, COVID-19 के वर्तमान में जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैं पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, लोक स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ कार्य करते हुए, मैंने एक सुविचारित योजना प्रस्तुत की थी जो कोविड-19 के पुनरुत्थान का मुकाबला करने और अनियंत्रित प्रसार की रोकथाम करने के लिए शमन के उपायों को कई चरणों में उपयोग में लाती है; और,

जबकि, उस योजना में ऐसे दो परिदृश्यों का वर्णन था जिसमें राज्य को किसी क्षेत्र विशेष में अधिक प्रतिबंधात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय स्थापित करने पड़ते और अतिरिक्त शमन उपायलागू करने पड़ते: पहला, परीक्षणों के पॉज़िटिव आने की दर के 7-दिनों के रोलिंग औसत में लगातार (10 में से 7 दिन) वृद्धि होना, और साथ में या तो (a) किसी कोविड-जैसे रोग के लिए अस्पताल में होने वाली भर्तियों में लगातार 7 दिन वृद्धि हो, या फिर (b) अस्पताल की क्षमता में इतनी कमी हो जिससे मामलों में उछाल को संभालने की क्षमता ख़तरे में पड़ जाए (ICU क्षमता या मेडिकल/सर्जिकल शैया 20% से कम); अथवा दूसरा, तीन लगातार दिनों तक सकारात्मकता की दर 8% के बराबर या उससे अधिक हो (7 दिनों का रोलिंग औसत); और,

जबकि, क्षेत्र 4, जो बॉन्ड, क्लिन्टन, मेडिसन, मुनरो, रैन्डॉल्फ, सेन्ट क्लेयर, और वॉशिंगटन काउन्टियों को मिलाकर बनता है, में हो रहे प्रसार ने इनमें से दूसरे परिदृश्य को सक्रिय कर दिया है क्योंकि क्षेत्र का औसत

तीन लगातार दिनों के लिए कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण पॉज़िटिव आने की 8% की दर (7 दिनों रोलिंग औसत) से अधिक रहा है; और,

जबकि, अगस्त 18, 2020 को सरकारी आदेश 2020-51 के माध्यम से, मैंने क्षेत्र 4 में वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए शमन उपायों को लागू किया; तथा,

जबकि, सितंबर 2, 2020 को कार्यकारी आदेश 2020-54 के माध्यम से, मैंने क्षेत्र 4 में वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए अतिरिक्त शमन उपायों को लागू किया; तथा,

जबकि, क्षेत्र 4 ने महत्वपूर्ण प्रगति की है - 10 प्रतिशत से अधिक कीसकारात्मकता के शिखर से नीचे आकर आज यह केवल 5.8% की दर पर है; तथा,

जबकि, क्षेत्र 4 अब शमन उपायों को हटाने की दहलीज पर पहुँच गया है, क्योंकि लगातार तीन दिनों तक रोलिंग सकारात्मक दर 6.5% से नीचे रही है;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं अक्टूबर 9, 2020 की शाम 5:00 बजे से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

अनुभाग 1. सरकारी आदेश 2020-51 और सरकारी आदेश 2020-54 एतद् द्वारा उठा लिए जाते हैं। सामुदायिक पुनरोद्धार आदेश (The Community Revitalization Order) (सरकारी आदेश 2020-43) प्रभावी रहता है।

अनुभाग 2. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को प्रथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा अक्टूबर 9, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर अक्टूबर 9, 2020